रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003-05



रत का रजपत The Gazette of India साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 29--नवम्बर 4, 2011 (कार्तिक 7, 1933) NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 29-NOVEMBER 4, 2011 (KARTIKA 7, 1933) No. 44]

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित है] [Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by

Statutory Bodies]

नाइक लेन, कुन्दन बाग, हैदराबाद-500016 को स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के निदेशक पद पर दिनांक 21 सितम्बर 2011 से 20 सितम्बर 2014 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिए नामित करता है।

> प्रतीप चौधरी अध्यक्ष

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 4 जुलाई 2011

नं. 13-सी.ए. (परीक्षा)/मई/2011-IV--इंस्टीट्यूट के सामानान्तर अधिसूचना नं.-13 सी. ए. (परीक्षा)/मई/2011 दिनांक 12 जनवरी, 2011, यह साधारण सूचना की एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम परीक्षा ग्रुप-1 पेपर-1 एकांउंटिंग जोकि दिनांक 03 मई, 2011 को हुआ था। उसी संदर्भ में कुमारी गिरिशमा नदीक क्रमांक 129394 की उत्तर पुस्तिका खो जाने के कारण परीक्षा रद्द की गई। कथित परीक्षा को पुन: 25 जुलाई, 2011 को प्रात: 10.00 बजे से सांय 01.00 बजे तक होगी। परीक्षा केन्द्र दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया, 16/0 मीलर्स टैंक बेड एरिया, बंगलोर-560052 होगा। पहले से जारी किया गया प्रवेश पत्र मान्य होगा।

> जी. सोमाशेखर अपर सचिव (परीक्षा)

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई, दिनांक 26 सितम्बर 2011

बैंपविवि सं. आरईटी बीसी. 35/12.06.059/2011-12--भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा (6) के खंड (ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वाराउक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची से ''स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.'' को हटाने का निदेश देता है, क्योंकि 29 जुलाई 2011 से उपर्युक्त बैंक ने बैंकिंग कारोबार करना बंद कर दिया है।

> बी. महापात्र कार्यपालक निदेशक

भारतीय स्टेट बैंक

मुंबई, दिनांक 20 सितम्बर 2011

एसबीडी क्र. 09/2011-12--एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25, उप धारा (1) के अनुच्छेद (घ) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ विचार विमर्श के बाद भारतीय स्टेट बैंक प्रो. वी. वेकट रमणा, पलैट नं. 204, हाऊस नं. 6-3-1198, ईस्ट फेस होम्स, वामन

1-309 GI/2011

संख्या ए-12/11/3/2010-चि.4 - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप धारा (1) और धारा 17 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगम एतदद्वारा बायो-मेडिकल इंजीनियर पद की भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-
 - (i) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, बायो-मेडिकल इंजीनियर भर्ती विनियम, 2010 कहे जायेंगे ।
 - (ii) ये शासकीय राजपंत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।
- 2. अनुप्रयोज्यता :

ये विनियम इसके साथ संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान :

उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे ।

- 4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य मामले आदि : उक्त पदों से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे ।
- पदों जिनके संबंध में सीधी भर्ती विहित की गई है उनके संबंध में चयन बोर्ड का राठन, चयन की प्रक्रिया आदि :
 - (1) चयन बोर्ड : (i) चयर

चयन बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे :-

(क) भारत सरकार के सचिव या अपर सचिव स्तर का अशकालिक अध्यक्ष जिसे सचिव या महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सुस्पष्ट पूर्व-अनुमोदन से नियुक्त किया जाएगा।

- (ख) भर्ती की जाने वाले अनुशासन/विशेषज्ञता से संबंधित एक विशेषज्ञ जिसे महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुरक्षित विशेषज्ञों के पैनल में से, चयन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा चुना जाएगा।
- (ग) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम विभागीय विशेषज्ञ होगा । इन अधिकारियों के किसी कारणवश उपलब्ध न होने की स्थिति में महानिदेशक विभागीय प्रतिनिधि के रूप में किसी अन्य अधिकारी को नामित कर सकता है ।
- (ii) अंशकालिक अध्यक्ष की पदावधि सामान्यतः चयन बोर्ड के गठन की तारीख से एक वर्ष होगी । तथापि, अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सुस्पष्ट पूर्व अनुमोदन से महानिदेशक द्वारा उनकी पदावधि कम अथवा बढ़ाई जा सकती है।
- (iii) अंशकालिक अध्यक्ष और चिकित्सा विशेषज्ञ, सरकार द्वारा विहित दरों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर महानिदेशक द्वारा नियत दरों पर यात्रा भत्ता, बैठक शुल्क आदि के हकदार होंगे ।

(2) चयन की प्रक्रिया तथा रीति :

(क) अनुसूची में शामिल पदों पर सीधी भर्ती, जहां भी अनुप्रयोज्य हो, सामान्यतः पात्र और संफल उम्मीदवारों के साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी ।

यदि भर्ती हेतु भिन्न तरीका अंगीकृत करना आवश्यक हो जाता है तो अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का सुस्पष्ट पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात महानिदेशक द्वारा इसे अंगीकृत किया जा सकेगा । तथापि, भर्ती की रीति विज्ञापन में अधिसूचित कर दी जाने के पश्चात कोई अनुवर्ती परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा ।

- (ख) साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या का निर्णय अध्यक्ष, चयन बोर्ड द्वारा रिक्तियों की संख्या और विहित अपेक्षाओं को पूरा करने वाले आवेदकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
- (ग) आयु, अर्हता, अनुभव आदि की विहित अपेक्षाएं पूरा करने मात्र से ही आवेदक को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाने अथवा विज्ञापित पद पर किसी प्रकार के दावे का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा।
- (घ) आवेदनों के संबंध में विज्ञापन जारी करने तथा अध्यक्ष, चयन बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए आवेदनों के प्रक्रमण संबंधी समस्त कार्य महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालय द्वारा किया जाएगा।
- (इ.) चयन बोई को आवश्यक सचिवीय सहायता, महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी ।

निर्र्हता :

6.

ऐसा कोई व्यक्ति :-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है जिसका विवाहिती जीवित है : अथवा
- (ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का इकरार किया है उक्त पद पर नियक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदिं महानिदेशक इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह की दूसरी पार्टी पर लागू वैयक्तिक कानून के अन्तर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वे किसी व्यक्ति को इस विनियम से छूट टे सकते हैं ।

7. द्वील देने की शक्ति :

जहाँ निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा कालोचित हो तो वह अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का सुस्पष्ट पूर्व अनुमोदन लेने के पश्चात, कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा व्यक्तियों के वर्ग के लिए इन विनियमों के किसी भी उपबंध में ढील दे सकते हैं।

८. अपवाद :

इन विनियमों की कोई बात आरक्षणों, आयु सीमा में ढील और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों और व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है।

> सी. एस. केदार महानिदेशक

भारत का राजपत्र, अक्तूबर 29, 2011 (कार्तिक 7, 1933)

[भाग III—खण्ड 4

परिवान से प्राप्त मां गेड प्रयन से सिंग ने मिंग मां मिंग से सिंग में सिंग में सिंग में सिंग में सिंग में से से मां में से से मां में से से मां में से मां मां में से मां में से मां में से मां मां में से मां मां में से मां	पद का नाम	पद की	বর্গীকর্বল	वेतन बैंड	क्या	क्या केन्द्रीय	सीधी भर्ती के लिए आयू	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित
वितनमाने अस्वा नियम 30 एपन पर को के उसीन ने र को के जोड़े गये वर्षे का लाम स्वीकार्य हे की नियम 30 राये वर्षे का लाम स्वीकार्य हे की नियम 30 स्वा को जोड़े गये वर्षे का लाम स्वीकार्य हे की नियम 30 स्वा यो- मेडिकत (2010) इंजीनियर (2010) इंजीनियर (2010) इंजीनियर (2010) इंजीनियर (2010) इंजीनियर (2010) इंजीनियर (व्रार्यमार अध्य आदेशों के आगुरार (व्रार्यमार अध्य आदेशों के आगुरार के आगुरार इंजीनियर पर परवर्तनीय हे)	+	संख्या	1		+			
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 8 7 9 3 3 7 8 3				वेतन/	पद है	(पेंशन)		
ग 2 3 4 5 6 7 8 गये- वर्षों का लाम स्वीठार्य हैं वायो- भेडिकत (2010) 22* युप क वेतन बैंड-3, (33- 3910/- र. 3910/- र. 3910/- र. 3910/- र. (33- 3910/- र. 3910/- र. 3				वैतनमान	अथवा	नियम, 1972	• •••• • • • • • • •	and the second
पद सेता के जोड़े गये वर्षों का लाम स्वीकार्य है पद सेता के जोड़े गये वर्षों का लाम स्वीकार्य है 1 2 3 4 5 6 7 8 गयो- गयो- वायो- वायो- (2010) 2* युप क अप का अंग्रे (35 का (35 का (35 का (35 का (35 का (35 का (2010) रे का (2010) रे का (2011) र का (2011) र का (2011) र का (2011) र का (2011) र का (2011) र का (2011) <				(रुपये)	गैर	के नियम 30		
गरी वर्षों का लाम सीकार्य हा गरी वर्षों का लाम सीकार्य हा गरी वर्षों का लाम सीकार्य हा गरी वर्षों का लाम सीकार्य हो 1 2 3 4 5 6 7 8 बायो- गेंदिकत (2010) 22* युप 'क' होजीनियर वेतन हैंड-3, नहीं लामू नहीं तामू तहीं 35 वर्ष तक के अनुवार आजा. अ.ज.ज.ग./ अरिकार इंजीनियर में डि अनिवार अहता न के अनुवार आजा. आज. ज.ज.ज.ग./ के अग्वा आदेश के अनुवार या आदेश के अनुवार प्र पर्वतर्मनीय हैं) अविवार आहता कर प्र के अनुवार या आदेश के अनुवार कर पुरे अनुवार कर पुरे आया आधार कर पुरे अनुवार कर पुरे आया आधार कर पुरे आया आधार कर पुरे आया आधार कर पुरे आया आधार कर पुरे आया आधार कर पुरे आया जित्त कर पुरे आया तिक अनुवार का तारील भारत में अधात कर पुरे आया तिक अनुवार का तारील भारत में अधात का आता का ता का जा तारील मारा में आवा तिक अनुवा । अप प्र यह के अनुवा । अप प्र यह के अनुवा । अप प्र यह के अनुवा । अप प्र यह के अनुवा का ता तिक जा लिक आया ति का यहा के अनुवाह का आया रे पर सा ही के अनुवाह का जातील ना तराख आया ही के अनुवाही का या हो के अनुवाहित जाती अप पर सा ही के अनुवाही का या हो के अनुवाही का या हो के अनुवाही का या हो के अनुवाह का जातील ना तराख आया का का ता ता हो ना तराख आया ही के अनुवाही का या हो के अनुवाहित जाती या तहे के अनुवाह का जातील ना तराख आया का ता का सत का या ते का अनुवा का ता का अप रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे	1				चयन	के अधीन		
ग 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 वायो- मेडिकत इंजीनियर (3व- आर्द्रां जाये (3a- आर्द्रां जाये अन्द्रेशां (3a- आर्द्रां जाये अन्द्रेशां अप्रायं पर पर पर पर परवर्तनीय हंजीनियर) 15600- अंड वंतन अंड वंतन के साथ तागू नहीं अंड वंतन कं साथ अंड वंत तक अप्रायं आरे जा अज्या आया पर वर्ष वंतन कं साथ अंड वंत तक कर्मचारियों के अनुसार कर राजी. नियास कर राजी. नियास कं उराजी. नियास कर राजी. नियास कं उराजी अन्द्राया वरीयतां दी आया वरीयतां दी मं सुदुद् एकपूर्य का ताहील तथा स्पीति के आंग्रे वरीयतां दी आया वर्ष का अन्द्राया का ताहील तथा स्पीति का आंग वर्ता का अन्द्राया का ताहील तथा स्पीति कि आप्राया, अंडमान तथा निकोका का ताहील तथा स्पीति जिता अन्यार्थी के सिप्त अत्या का ताहील तथा स्पीति जिता अन्यार्थी के स्पार अन्यार्थी के प्र सुदु ह का अन्यार्थ का आया का ताहील तथा स्पीति जिता अन्यार्थी के स्पार अन्यार्थ का अन्यार्थ का अप्राया को करमेदित का अन्यार्थ का अप्राया को करमदेत की अन्यार्थ का अप्राया को करमदेत की अन्यार्थ का अप्राया का करमदेत की अन्यार्थ का अप्राया को करमदेत की अन्यार्थ का अप्राया का अर्याया के करमदेत का अन्यार्थ का अप्राया का करमदे के की का बाहीत तथा स्पीति का अन्यार्थ का अप्राया का करमदे के की अन्यार्थ का अप्राया का करमदे के अर्य का का का का का तरा को अन्यार्थ का अप्राया का करमदे के जी का का का का का का का का का का का का का					पद			
1 2 3 4 5 6 7 8 बायो- बायो- वीडळन इंजीनियर (2010) 22* (2010) युप का वेतन बैंड-3, (2010) येतन बैंड-3, वास् व्ये का व्ये का व्य व्ये का व्य व्य व्य व्य व्य व्य व्य व्य व्य व्य								
1 2 3 4 5 6 7 8 बायो- भोडिकरा इंजीनियर युर्प क' (2010) युर्प क' (2010) युर्प क' (2010) भोडिकर (15600- 39100/- अट्ट) नहीं 35 वर्ष तक के अनुमार अ.ज.ज.ज/ अ.पि.वर्म के लिए केन्द्रीय के अनुमार अ.ज.ज.ज/ अ.पि.वर्म के लिए केन्द्रीय के अनुमार अ.ज.ज.ज/ अ.पि.वर्म के लिए केन्द्रीय कं जाया अनिंवार्य आरंग के अनुप्र के आयार पर पर के लाय के बिल केन्द्रीय के अवक्रम अयवा प्रतिष्ठित संस अयवा आरंग के अयवा अतिष्ठित संस अयवा आरंग के अयवा अतिष्ठित संस कर्मयारियों और सरकार के साथ के बावो-भीडिकत इंजीनियरी कर्मयारियों और सरकारी के अयवा असरे उच्च के रूप में कर्मयारियों और सरकारी के बीदल) अयवा करीयता दी जाएगी 2017 है 1 वित्र के साथ अयवा कर्मयारियों और सरकारी कर्मयारियों और सरकारी अत्रवेदन प्राप्ति को अतिम तारीख सरग, मोयाया, मोठाय के बीदेल) अयवा मंकेनिकल, आयवा इंजीनियरी में स्नातक इंग वा तारीख सरग, मेयायाया के जीतिक के अर्था इंजीनियरी में स्नातक इंग तारीख सरग, मोयाया, मोठाय प्राया कि कप्रदुर एठप्र ता तिरोख प्राप्त में मन्द्र के स्व केतिकल, अत्रया विवेषज्ञता न्यां निके अनुसुचित जाति अन्द्र य सहानिदेशक की ता तारोख राया गिते अन्द्र य सहानिदेशक की ता तारोख ता यो इंजीनियरी में स्व केतिकल,				1				
बायो- पिटर युप 'ठ' युप 'ठ' वेतन बैंड-3, लागू लागू नहीं 35 वर्ष तठ (भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार 3.31.7.1.7.3.3					l			
मेडिकत (2010) मेडिकत (2010) मेडिकत (2010) मेडिकत (वर्ष मेडिकत (वर्ष मेडिकत (वर्ष मेडिकत (वर्ष मेडिकत (वर्ष मेडिकत मे			1	1				8
इंजीनियर (जैव- अयुर्विज्ञान के आधार इंजीनियर) पर पर देवर्तनीय है)			ग्रुप "क"	1		लागू नहीं		अनिवार्य अर्हता :
(जैव- आयुर्विज्ञान के आधार पर पर पर पर परिवर्तनीय है))))))))))))))))))		(2010)			नहीं			मान्यता प्राप्त संस्थान से बायो-
अयुर्विज्ञान के आधार इंजीनियर) पर परिवर्तनीय है) 5400/- रु. के साध 5400/- रु. के साध 5400/- रु. के साध सरकार द्वारा जरि अनुरेश अयवा आदेशों के अनुसार क.रा.बी. निमम के अयवा उससे उच्च के रूप मे कर्मचारियों और सरकारी कर्मच्वारियों के लिए 5 वर्ष तक की ढील) अयवा मैकेनिकल, अयवा औरो हंजीनियरों में स्नातक डिंग तारीख सारत में उम्मीदवारों से आदेदन प्राप्ति करने की निर्णायक तारीख सारत में उम्मीदवारों से आदेदन प्राप्ति करने की निर्णायक तारीख सारत में उम्मीदवारों से आदेदन प्राप्ति की अतिम तारीख होगी (और न कि असम, मैघालय, अरूणायक प्रदेश, मिजोरस, मणिपुर, नागालैफ, न्निय, सिकिकम, जम्मू व कशीर राज्य का तिरा वा विशेषकता आयो-मैंडि प्रिक्षण प्राप्त हो । अये प्रतिख्ञ ता वायो-मैंडि अयवा आदेते जाएगी अयवा अयवा अयवा सेकेनिकल, आयो से आदेदन प्राप्ति की अतिम तारीख होगी (और न कि असम, मैघालय, अरूणायक प्रतिख्रा प्राप्त हो । अये प्रतिख्र ता वायो-मैंडि अयवा आदेते इंजीनियरों में स्नातक डिंग नया विशेषकता बायो-मैंडि प्रतिख्र ने सुदृढ़ प्रच्छपूरि ता विशिक्तम, का जुम्म वा राप हो कि अनुसुधित जाति अन्मयधियों के लिए जाती अन्मयधियों के ति पर संख्या उपलब्ध नहीं होगी मानानियेका कि त्रेव्र का का लाहौल तथा स्पीति जिता	1.							मेडिकल इंजीनियरी में डिग्री ।
इंजीनियर) पर परिवर्तनीय हैं) में बायो-भेडिकल इंजी कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों के अनुभवे व्यक्तियों वरीयता दी जाएगी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की दील) म्वेकनिकल अयवा औद्यों इंजीनियरी में स्वातक डिं तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेपालय, अरूणावल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिकिकम, जम्मू व कश्मीर राज्य का तदाख प्रभाग, हिमायल प्रदेश को उम्मीदवारों के लिए भर्याी राय हो कि अनुमुचित जास्व अन्याद्वीं के अपीक्षित अन्य वर्ष का अनुमव । अर्थ्या स्वाहील तवा स्वीनेबात के जायों जे जा पा हो अन्याद्वीं के अपीक्षित अन्य वर्ष अभ्यार्थियों के दिए आर राय हो कि अनुमुचित जास या हो कि अनुमुचित जास प्रया हो कि अनुमुचित जास या हो कि अनुमुचित जास या हो कि अनुमुचित जास या हो कि अनुमुचित जास या हो कि अनुमुचित जास अन्यार्थियों के लिए अप्यार्थि अन्यार्थियों के लिए अप्यार्थि अन्यार्थियों के लिए अप्यार्थि अन्यार्थियों के लिए अप्यार्थ यो का अन्यार्थियों के लिए अप्यार्थ अन्यार्थयों के लिए अपीक्षित अन्य वाले अभ्यार्थियों की त्य महान्वेश्वक निवेकान अनुमव संबंयी अहंतगए शि								केन्द्रीय/राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र के
परिवर्तनीय है) परिवर्तनीय है) परिवर्तनीय है) परिवर्तनीय है) परिवर्तनीय है) परिवर्तनीय है) परियारिय और सरकारी कर चुके अनुभवे. व्यव्तियों कर चुके अनुभवे. व्यव्तियों कर चुके अनुभवे. व्यव्तियों कर चुके अनुभव . जयवा औयों देजीनियरी में स्नातक डिय तरारिख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरूणाव्ल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रियुरा, सिकिम, जस्मु व कश्मीर राज्य का लहाछ प्रभा, हिमावल, यहेश का लाहौत तथा स्पीति जिला और चम्बा जिले जा पांगी उप प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार और चम्बा जिले प्रयाधियों के लिए आर रिवरायां के अपवेक्षित अन् संख्या उपलब्ध नहीं होगी मबानिरेशक विवेकानु अनुमव संबंधी अहंताए शि		1						उपक्रम अथवा प्रतिष्ठित संस्थानों
हैं) कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की ढील) टिप्पणी : आयु सीमा निर्टापित करने की निर्णायक तारीख भारत में उम्मोदवारों से आवेदन प्राप्ति की निर्णाय तारीख भारत में उम्मोदवारों से आवेदन प्राप्ति की निर्णाय तारीख भारत में उम्मोदवारों से जीवत्वन प्राप्ति की निर्णाय तारीख भारत में उम्मोदवारों से आवेदन प्राप्ति की निर्णाय तारीख भारत में उम्पाद की निर्णाय तारीख भारत में उम्पाद की निर्णाय प्रवेश , मिजोरम, मणिपुर नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिविकम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लहाहाल तथा स्पीति जिला ताराहील तथा स्पीति जिला उम्पायवार्यों के लिए निर्णाय अम्यार्थियों के तिएए आरा उम्मोदवारों के लिए निर्णार अम्यार्थियों की तिला समुदायों के अपेक्षित अन् याले अभ्यार्थियों की तथ समुदायों के अपेक्षित अन् याले अभ्यार्थियों की तथ सम्यार्थ प्रक्ष प्रायक्षि की सम्यार्थ के विवेकान अन्युम्य संबंधी अर्हताए शि	इंजीनियर)			के साथ				में बायो-मेडिकल इंजीनियर
कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की ढोल) तियाणी : आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी (और न की अंतिम तारा विशेषज्ञता वायो-मेंडि असम, मेघालय, अरूणावल प्रदेश, मिजोरस, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लहाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश का लाहौल तथा स्पीति जिला और चम्बा जिले का पांगी उप प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अन्याधियों के लिए आरा द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अत्मि तारीख)								अथवा उससे उच्च के रूप में सेवा
की ढील) उधवा अधवा अधवा अधवा अधवा अधवा अधवा अधवा अधवा अधवा अधवा अधवा अधवा अधवा अधवा अधवा अधवा अधिा इंजीनियरी में स्नतक डिंग् वक्षेत्रिया से स्वतक डिंग् वक्षेत्रिया से स्वदृढू पृष्ठभूवि तथा विश्वेषक्रता वयो-मेडि असम, मेपालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजियम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिकियम, जम्मू व कश्मीर राज्य का तदाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश का लाहौल तथा स्पीति जिला और चम्बा जिले का पांगी उप प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए आरा उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अन्यूर्थियों का सरने के लिए अम्बायों को सरने के लिए अपवार्थयों को सरने के लिए अप्वार्थयों को सरने के लिए अप्वार्थयों के लिए आरा अत्म तारीख)		है)						कर चुके अनुभवी व्यक्तियों को
अथवा दिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रियुरा, सिकिम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश का लाहौल तथा स्पीति जिला और चम्बा जिले का पांगी उप प्रभाग, अंडमान तथा लिकी जम्मू वक्ष्मी राज्य का तरा य स्वानिदेशक की राय दे के अनुसूचित जाति अम्यदियों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख) अन्मव संबंधी अर्हताए शिंग								वरीयता दी जाएगी
टिप्पणी : आयु सीमा निर्पारित करने की निर्णायक तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रियुरा, सिकिम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश का लाहौल तथा स्पीति जिला और चम्बा जिले का पांगी उप प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार प्रथा से कि अनुसुधित जाति अंगर चम्बा जिले का पांगी उप प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार उम्मीदवारों के लिए आरा तिया का सरने के लिए अप्यार्थ के अपेक्षित अन् वाले अभ्यार्थियों की पर संख्या उपलब्ध नहीं होगी महानिदेशक विवेकान अंतिम तारीख)							की ढील)	
निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिकिकम, उम्मू व कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश का लाहोल तथा स्पीति जिला सर पर महानिदेशक की उम्मीदवारों के लिए निर्धारित उम्मद्वायों के लिए आरा उम्मद्वायों के लिए निर्धारित उम्मद्वायों के लिए आरा उम्मद्वायों के लिए आरा उम्मद्वायों के लिए आरा उम्मद्वायों के लिए आरा त्रात्तम तारीख)								अवव
तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिकिकम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लद्याख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश का लाहौल तथा स्पीति जिला और चम्बा जिले का पांगी उप प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अम्यार्थीयों के लिए आरा उम्मदावारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख)								
से आवेदन प्राप्ति की अंतिम इजीनियरी में सुदृढ़ पुल्अपूरि तथा विशेषज्ञता वायो-मेडि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिकिरम, उम्पू व कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश का लाहौल तथा स्पीति जिला और चम्बा जिले का पांगी उप प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार उम्मीदवारों के लिए आरा उम्मीदवारों के लिए निर्धारित जंतिम तारीख) नम्बा उल्लह्य नहीं होगी महानिदेशक विवेकानु अनुभव संबंधी अर्हताएं शि				· ·				इंजीनियरी में स्नातक डिग्री ।
तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, प्रशिक्षण प्राप्त हो । अपे प्रशिक्षण प्राप्त हो । अपे प्रशिक्ष प्राप्त होत अनुभव । जम्मू व कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश का लाहौल तथा स्पीति जिला अर चम्बा जिले का पांगी उप प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार प्रप्रभाग, अंडमान तथा निकोबार प्रप्रभाग, अंडमान तथा निकोबार उम्मीदवारों के लिए आरा उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अतिम तारीख) न मुद्दायों की पर संख्या उपलब्ध नहीं होगी महानिदेशक विवेकानु अनुभव संबंधी अर्हताएं शि								
असम, मेघालय, अरूणगव्ल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिकिकम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लदाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश का लाहौल तथा स्पीति जिला और चम्बा जिले का पांगी उप प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार उम्मीदवारों के लिए आरा उम्मीदवारों के लिए आरा रोम्मेदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख) न्या के अपधीर्यों की पर संख्या उपलब्ध नहीं होगी महानिदेशक विवेकानु अनुभव संबंधी अर्हताएं शि								इंजीनियरी में सुदृढ़ पृष्ठभूमि हो
प्रदेश, सिजोरस, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिकिम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लद्याख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश का लाहौल तथा स्पीति जिला और चम्बा जिले का पांगी उप प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अन्यूर्श्वित जनजाति द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अन्यूर्श्वित जनजाति उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अन्यूर्श्वा के अपेक्षित अन् वाले अभ्यार्थियों की पर संख्या उपलब्ध नहीं होगी महानिदेशक विवेकानु अनुभव संबंधी अर्हताएं शि								तथा विशेषज्ञता बायो-मेडिकल
नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिकिम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लदाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश का लाहौल तथा स्पीति जिला और चम्बा जिले का पांगी उप प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख) सम्बूदायों के अपेक्षित अन् वाले अभ्यर्थियों की पर संख्या उपलब्ध नहीं होगी महानिदेशक विवेकानु अनुभव संबंधी अर्हताएं शि								
जम्मू व कश्मीर राज्य का लहाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश का लाहौल तथा स्पीति जिला और चम्बा जिले का पांगी उप प्राय हो कि अनुसुधित जाति प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार उम्मीदवारों के लिए निर्धारित उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख) सम्मुदायों के अपेक्षित अन् वाले अभ्यार्थियों की पर संख्या उपलब्ध नहीं होगी महानिदेशक विवेकानु अनुमव संबंधी अर्हताएं शि								
लद्यखं प्रभाग, हिमाचल प्रदेश का लाहौल तथा स्पीति जिला और चम्बा जिले का पांगी उप प्राय हो कि अनुसुचित जाति प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार उम्मीदवारों के लिए निर्धारित उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख) समुदायों के अपेक्षित अन् वाले अभ्यर्थियों की पर संख्या उपलब्ध नहीं होगी महानिदेशक विवेकानु अनुभव संबंधी अर्हताएं शि								वर्ष का अनुभव ।
का लाहौल तथा स्पीति जिला और चम्बा जिले का पांगी उप प्राय हो कि अनुसुधित जाति प्राथाग, अंडमान तथा निकोबार प्राया हो के अनुसुधित जन्जाति द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अच्यार्थयों के लिए आरा उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख) समुदायों के अपेक्षित अन् वाले अभ्यार्थियों की पर संख्या उपलब्ध नहीं होगी महानिदेशक विवेकानु अनुभव संबंधी अर्हताएं शि							जन्मू व कश्मार राज्य का	
और चम्बा जिले का पांगी उप प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अनुसूचित जात उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख) समुदायों के अपेक्षित अन् वाले अभ्यर्थियों की पर संख्या उपलब्ध नहीं होगी महानिदेशक विवेकानु अनुभव संबंधी अर्हताएं शि								
प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अच्यर्थियों के लिए आर उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख) समुदायों के अपेक्षित अन् वाले अभ्यर्थियों की पर संख्या उपलब्ध नहीं होगी महानिदेशक विवेकानु अनुभव संबंधी अर्हताएं शि								
द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अच्यर्थियों के लिए आर उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख) समुदायों के अपेक्षित अन् वाले अभ्यर्थियों की पर संख्या उपलब्ध नहीं होगी महानिदेशक विवेकानु अनुभव संबंधी अर्हताएं शि								राय हा १० अनुसूचित जाति या
उम्मीदवारों के लिए निर्धारित (रेक्तियों को भरने के लिए अंतिम तारीख) समुदायों के अपेक्षित अन् वाले अभ्यर्थियों की पर संख्या उपलब्ध नहीं होगी महानिदेशक विवेकानु अनुभव संबंधी अर्हताएं शि								
अंतिम तारीख) समुदायों के अपेक्षित अन् वाले अभ्यर्थियों की पर संख्या उपलब्ध नहीं होगी महानिदेशक विवेकानु अनुभव संबंधी अर्हताएं शि								
ाले अभयर्थियों की पर संख्या उपलब्ध नहीं होगी महानिदेशक विवेकानु अनुभव संबंधी अर्हताएं शि								
संख्या उपलब्ध नहीं होगी महानिदेशक विवेकानु अनुभव संबंधी अर्हताएं शि							onde di di di j	त्तनुदाया क अपाक्षत अनुमव जन्मे जन्मलीज्ञें के जन्मी
महानिदेशक विवेकानु अनुभव संबंधी अर्हताएं शि								
अनुभव संबंधी अर्हताएं शि							•	
								जनुनव संबंधा अहतार । साथल कर सकते हैं ।
								4 2 MART 6 1
	1							

भाग III—खण्ड 4]

या सीधी	परिवीक्षा	भर्ती की पद्धति - क्या सीधी भर्ती	पदोन्नति/प्रतिनियरि	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है	<u>à</u>
र्ती वालों के	की	द्वारा अथवा पदोवति द्वारा अथवा	त्त/आमेलन द्वारा	तो उसका गठन	परिस्थितियां
गर विहित	अवधि,	प्रतिनियुक्ति/	भर्ती के मामले में वे		जिनमें भर्त
ायु और	यदि	आमेलन द्वारा और विभिन्न	ग्रेड जिनमें से		करते समय
किंक	कोई है	पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली	पदोन्नति,		त्तंघ लोव
हिताएं		रिक्लियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति,		सेवा आयो
दोन्नतों के			आमेलन किया		से परामव
ामले में भी			जाएगा		किया जाना हे
ग्यू होंगी					
		· · ·			
9	10	11	12	13	14
नहीं	सीधी	:00% सीधी भर्ती द्वारा जिसके न	लागू नहीं	ग्रुप क विभागीय	लागू नहीं
~	भर्ती के	होने पर अल्पावधि ठेके दारा		पदोन्नति समिति	
	लाए दो	C. T. C. C. Marca Our Brd		(स्यायीकरण पर विचारार्थ)	
	तर्ष .	*अल्पावधि ठेके सहित			
	47	जल्पावाय ठक साहत प्रतिनियुक्ति		1 Billion arrest	
		प्रातानयुक्त फीडर श्रेणी के विभागीय		1. चिकित्सा आयुक्त, क.रा.बी. निगम	
		अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी		-अध्यक्ष	
		रेखा में है, प्रतिनियुक्ति पर			1
		नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं		2. उप चिकित्सा आयुक्त(चिकित्सा)	
		होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त		क.रा.बी. निगम	
		पदोचति द्वारा नियुक्ति के		-सदस्य	
		विचारार्थ पात्र नहीं होंगे।			
		(इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व	ŀ		
		इसी या केंद्र सरकार के अन्य			
		किसी संगठन/विभाग में अन्य			
		संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुवित			}
		की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति			
		की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति			
		(अल्पावधि ठेके सहित) पर			
•		नियुक्ति के लिए अधिकतम आयू			
		सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम			
		तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं			
		होगी।)			
					1. Sec. 19
				la de la companya de	
	•			•	
		1	1	1	1

No. A-12/11/03/2010 Med.IV in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97 read with sub-section (2A) of the said section and sub-section (3) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the post of **Bio-Medical Engineer** namely,

1. Short title and commencement: (1) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Bio-Medical Engineer Recruitment Regulations, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application: - These regulations shall apply to the posts specified in Column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. Number of posts, classification and scale of pay:- The number of the said posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedules annexed to these Regulations.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications and other matters etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and others matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. Composition of Selection Board, procedure of Selection etc. in respect of posts for which direct recruitment is prescribed:

(1) Selection Board:

- (i) The selection Board shall consist of:-
- (a) A part-time Chairman of the status of Secretary or Additional Secretary to the Government of India, who may be appointed by Secretary or the Director General, Employees' State Insurance Corporation, with the specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation.
- (b) One expert from the discipline/ specialised field pertaining to which recruitment is to be made, who may be chosen by the Chairman Selection Board from the panel of experts maintained for the purpose by the Director General, Employees' State Insurance Corporation.
- (c) The Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation will be the department expert. In case, these officers are not available for some reason then Director General can nominate some other officer as the departmental representative.
- (ii) The term of office of the part-time Chairman shall ordinarily be one year from the date of constitution of the Selection Board. His term may, however, be curtailed or extended by the Director General, with the specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation.
- (iii) The part-time Chairman and the Medical Experts shall be entitled to traveling allowances, sitting fees etc. at such rates as may be fixed by the Director General from time to time, keeping in view the rates prescribed by the Government.

(b) Direct recruitment to the posts included in the schedule, wherever applicable, shall ordinarily be made on the basis of an interview of eligible and successful candidates.

In case, it becomes necessary to adopt a different mode of recruitment, the same may be adopted by the Director General after obtaining specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation. However, once a mode of recruitment is notified in the advertisement, no change shall be made subsequently.

- (b) The number of candidates to be invited for interview shall be decided by the Chairman, Selection Board, keeping in view the number of vacancies and the number of applicants who satisfy the prescribed requirement.
- (c) Mere fulfillment of the prescribed requirement of age, qualification, experience etc. will not confer any right on the applicant to be called for interview or to any claim over the post advertised.
- (d) All work relating to issue of advertisement in respect of applications and processing of applications for submission to the Chairman, Selection Board will be handled by the office of the Director General, Employees' State Insurance Corporation.
- (e) The Selection Board will be provided necessary Secretarial assistance by the office of the Director General, Employees' State Insurance Corporation.
- 6. Disqualification No person :-
- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person; shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Director General may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Regulation.

- 7. Power to relax:- Where the Director General of the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order, for reasons to be recorded in writing and after obtaining specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation. relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
- 8. Savings:- Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

C. S. KEDAR Director General

THE GAZETTE OF INDIA, OCTOBER 29, 2011 (KARTIKA 7, 1933)

[PART III-SEC. 4

INTE OF	NO OF	CLASSIFICA 1	Pay Band	WHETHE	WHETHER	AGE LIMIT FOR	EDUCATION	AL	WHETHER		PERIOD OF
HE HE OST	NO. OF POSTS	TION	and Grade Pay/Pay Scale (Rs.)	R SELECTI ON POST OR NON- SELECTI	BENEFIT OF ADDED YEARS OF SERVICE ADMISSIBELE UNDER RULE 30 OF THE	DIRECT	AND OTHER QUALIFICAT S REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS	NON D	AGE AND EDUCATIO QUALIFIC NS PRESCRII FOR DIRE	DNAL ATIO BED	PROBATION IF ANY
		ж. 		ON POST	CCS (PENSION) RULES, 1972.				RECRUIT WILL APU THE CASE PROMOTI	ly in E of	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	<u> </u>	10
Bio- Medical Engineer	02* (2010) * (Subject to variation dependant on workload)	Group 'A'	Pay Band - 3 of Rs.15600- 39100 with Grade Pay of Rs.5400	N.A	Not Applicable	Upto 35 years (Relaxable for employees of the ESIC and the Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) for SC/ST/OBC as per GOI instructions	Essential Qualification Degree in Medical Eng ing r e c o g n i I n s t i t Preference w given to exp ced persons have serve B i o - M ed Engineers above in CG State/Public	Bio- incer- from z e d u t e while be reien who ic a l or entral/	NA		Two year
Note 1: Th	e crucial date for	determining the	age limit shall b	e the closing d	tate for receipt of a	pplications from	Bechelor's d	iearee	1		
Mizoram, I Division of ** <u>Note:</u> The candidate: candidate: vacancies • DEPUT/ The Depa considera appointme (Period c preceding not excee	in India (and not kanipur, Nagalar Chambe District e qualification(s) s belonging to SC is from these com reserved for ther ATION INCLUDIN TIMMENTAL Officers tion for appointm ant by promotion. f deputation/com	the closing date Id, Trigura, Sikkir of Himachal Prac- regarding exper- regarding exper- e and ST If, at ar imunities posses n. G SHORT TERM in the feeder ca event on deputativ ract including pr tin the same or maximum age lin maximum age lin	prescribed for it n, Ladakh Divis lesh, Andaman lence is/are rel ny stage of sele sing the require I CONTRACT ategory who are ategory who are to an. Similarly, I sriod of deputal some other Org th for appointm	hose in Assan ion of J & K \$ & Nicobar Isla axable at the ction, the D.G ad experience e in the direct Deputationists ion/ contract janization/Dep ent by deputa	tate Lahaut & Spili ands or Lakshadwe discretion of the s is of the opinion are not likely to b t line of promotion shall not be eligi in another ex-cadi artment of the Cer	achal Pradesh,. district and Pangi Sub	in Mechanic in dust t engineering have background m e c ha n in d u s t engineering have speci training E year in an m hospital in requisite fie	cal or rial should sound d in ical rial g and alized xp. 1 eputed n the			
Mizoram, I Division of ** Note: The candidate: candidate: vacancies • DEPUT/ The Depa considera appointme (Period c preceding not excee	in India (and not kanipur, Nagalar Chambe District e qualification(s) s belonging to SC s from these com reserved for ther ATION INCLUDIN TIMMINCLUDIN TIMMINCLUDIN Thrental Officers tion for appointment of a years. The i ding 56 years as	the closing date Id, Tripura, Sikkir of Himachal Prac- regarding exper- e and ST If, at ar munities posses G SHORT TERM in the feeder ca- tent on deputation ract including per in the same or maximum age lin on the closing data	prescribed for ti n, Ladakh Divis lesh, Andaman ience is/are rel ny stage of sele sing the require I CONTRACT ategory who an n. Similarly, I priod of deputal some other Org nit for appointm te of receipt of a	hose in Assan ion of J & K S & Nicobar Isla axable at the ction, the D.G ad experience e in the direct Deputationists tion/ contract janization/Dep ent by deputa application).	tate Lahaut & Spili ands or Lakshadwe discretion of the . is of the opinion are not likely to t t line of promotion shall not be eligi in another ex-cadi antment of the Cen- tion (including sho 2010	achal Pradesh, district and Pangi Sub- ep) D.G. in the case of the that sufficient number of se available to fill up the shall not be eligible for ble for consideration for the for consideration for trave/Govt. shall ordinarily rt term contract) shall be	in Mechanic in dust engineering have background m e c ha n in d u s t engineering have speci training E year in an m hospital in requisite fie	cal or rial should sound d in ical rial g and alized xp. 1 eputed n the id.			
Mizoram, I Division of ** <u>Note:</u> The candidate: candidate: vacancies * DEPUT/ The Depa considera appointme (Period c preceding not excee	in India (and not kanipur, Nagalar Chambe District a qualification(s) is belonging to SC is from these corr reserved for ther NTION INCLUDIM trimental Offcers tion for appointment of deputation/coni this appointment d 3 years. The ding 56 years as METHOD RECRUIT WHETHER RECRUIT PROMOTI DEPUTAT ABSORPT PERCENT POSTS TC	the closing date the closing date tid, Trigura, Sikkir of Himachal Prace regarding experi- and ST If, at ar munities posses n. G SHORT TERM in the feeder of the	prescribed for ti n, Ladakh Divis lesh, Andaman lence is/are ref ny stage of sele sing the require I CONTRACT I CONTRACT ategory who an on. Similarly, I eriod of deputal some other Ong some other ong til for appointm te of receipt of a PROMOTIC ABSORPTI WHICH PR / ABSORPT	hose in Assan ion of J & K S & Nicobar Isla axable at the ction, the D.G ad experience e in the direct Deputationists ion/ contract janization/Dep ent by deputa application).	tate Lahaut & Spilis ands or Lakshadwe discretion of the . is of the opinion are not likely to t t line of promotion shall not be eligi in another ex-cadi warment of the Cei tion (including sho 2010 ENT BY IF ION/ IT FROM IF	achal Pradesh, district and Pangi Sub - ep) D.G in the case of the that sufficient number of se available to fill up the shall not be eligible for ble for consideration for re post held immediately trad/Govt. shall ordinatily	in Mechanic in dust engineering have background m e c ha n in d u s t engineering have speci training E year in an m hospital in requisite fie	cal or rial should od in ical rial g and alized n the eputed n the dd. ASTANK UPSC LTED II	to be N		
Mizoram, I Division of ** Note: The candidate: candidate: vacancies • DEPUT/ The Depa considera appointme (Period c preceding not excee	in India (and not kanipur, Nagalar Chambe District a qualification(s) is belonging to SC is from these corr reserved for ther NTION INCLUDIM trimental Offcers tion for appointment of deputation/coni this appointment d 3 years. The ding 56 years as METHOD RECRUIT WHETHER RECRUIT PROMOTI DEPUTAT ABSORPT PERCENT POSTS TC	the closing date di, Tripura, Sikkir of Himachal Prac- regarding exper- e and ST If, at ar munities posses n. G SHORT TERM in the feeder ca- tent on deputation ract including por in the feeder ca- tent on deputation ract including por in the same or maximum age lin on the closing data DF MENT, KEY DIRECT MENT OR BY ION AND AGE OF THE D BE FILLED BY METHODS	prescribed for ti n, Ladakh Divis lesh, Andaman lence is/are ref ny stage of sele sing the require I CONTRACT I CONTRACT ategory who an on. Similarly, I eriod of deputal some other Ong some other ong til for appointm te of receipt of a PROMOTIC ABSORPTI WHICH PR / ABSORPT	hose in Assan ion of J & K S & Nicobar Isla axable at the ction, the D.G ed experience e in the direct Deputationists ion/ contract 1 anization/Dep ent by deputa application).	tate Lahaut & Spilis ands or Lakshadwe discretion of the . is of the opinion are not likely to t t line of promotion shall not be eligi in another ex-cadi warment of the Cei tion (including sho 2010 ENT BY IF ION/ IT FROM IF	achal Pradesh, district and Pangi Sub- ep) D.G in the case of the that sufficient number of se available to fill up the shall not be eligible for ble for consideration for travidGovt. shall ordinarily travidGovt. shall ordinarily therm contract) shall be A DPC EXISTS, WHAT S COMPOSITION	in Mechanic in dust engineering have background m e chan in d ust engineering have speci training E year in an m hospital in requisite fiel SCIRCUM WHICH CONSU MAKING	cai or rial should sound d in rial g and alized n the alized n the dd. ASTANN UPSC UPSC S iTTMEN	to be N		
Mizoram, I Division of ** <u>Note:</u> The candidate: candidate: vacancies • DEPUT/ The Depa considera appointme (Period c preceding not excee	in India (and not kanipur, Nagalar Chambe District a qualification(s) is belonging to SC is from these corr reserved for ther NTION INCLUDIM trimental Offcers tion for appointment of deputation/coni this appointment d 3 years. The ding 56 years as METHOD RECRUIT WHETHER RECRUIT PROMOTI DEPUTAT ABSORPT PERCENT POSTS TC	the closing date the closing date tid, Trigura, Sikkir of Himachal Prace regarding experi- and ST If, at ar munities posses n. G SHORT TERM in the feeder of the	prescribed for ti n, Ladakh Divis lesh, Andaman lence is/are ref ny stage of sele sing the require I CONTRACT I CONTRACT ategory who an on. Similarly, I eriod of deputal some other Ong some other ong til for appointm te of receipt of a PROMOTIC ABSORPTI WHICH PR / ABSORPT	hose in Assan ion of J & K S & Nicobar Isla axable at the ction, the D.G ad experience e in the direct Deputationists tion/ contract janization/Dep ent by deputa application).	tate Lahaut & Spilis ands or Lakshadwe discretion of the s is of the opinion are not likely to t t line of promotion shall not be eligi in another ex-cadi antment of the Cen- tion (including sho 2010 ENT BY IF ION/ IT FROM EPUTATION IADE	achal Pradesh, district and Pangi Sub- lep) D.G in the case of the that sufficient number of se available to fill up the shall not be eligible for ble for consideration for re post held immediately trate/Govt. shall ordinarily at term contract) shall be A DPC EXISTS, WHAT S COMPOSITION	in Mechanic in dust: engineering have background m e chan in d ust engineering have speci- training E year in an r hospital in requisite fiel SCIRCUM WHICH CONSU MAKING RECRU	cal or rial should od in ical rial g and alized n the eputed n the dd. ASTANK UPSC LTED II	to be N		
Mizoram, I Division of ** <u>Note:</u> The candidate: candidate: vacancies * DEPUT/ The Depa considera appointme (Period c preceding not excee	in India (and not vanipur, Nagalar Chambe District e qualification(s) is belonging to SC s from these com reserved for ther withmental Officers tion for appointment of deputation/com it is appointment ding 56 years as METHOD RECRUITI PROMOTI DEPUTAT PROMOTI DEPUTAT POSTS TC VARIOUS 100% Dire	the closing date di, Tripura, Sikkir of Himachal Prac- regarding exper- e and ST If, at ar munities posses n. G SHORT TERM in the feeder ca- tent on deputation ract including por in the feeder ca- tent on deputation ract including por in the same or maximum age lin on the closing data DF MENT, KEY DIRECT MENT OR BY ION AND AGE OF THE D BE FILLED BY METHODS	Prescribed for ti n, Ladakh Divis lesh, Andaman lence is/are rel ny stage of sele sing the require I CONTRACT ategory who an n. Similarly, I sriod of deputal some other Org nit for appointm te of receipt of a IN CASE OI PROMOTIC ABSORPT WHICH PROMOTIC ABSORPT WHICH PROMOTIC ABSORPT	hose in Assan ion of J & K S & Nicobar Isla axable at the ction, the D.G ed experience e in the direct Deputationists tion/ contract janization/Dep ent by deputa application). F RECRUITMI SN/ DEPUTAT F RECRUITMI SN/ DEPUTAT ION TO BE M	tate Lahaut & Spilis ands or Lakshadwe discretion of the . is of the opinion are not likely to t t line of promotion shall not be eligi in another ex-cadi artment of the Cen- tion (including sho 2010 ENT BY IF DON IT FROM EPUTATION IADE	achal Pradesh, district and Pangi Sub- ep) D.G in the case of the that sufficient number of se available to fill up the shall not be eligible for ble for consideration for travidGovt. shall ordinarily travidGovt. shall ordinarily therm contract) shall be A DPC EXISTS, WHAT S COMPOSITION	in Mechanic in dust engineering have background m e chan in d ust engineering have speci training E year in an m hospital in requisite fiel SCIRCUM WHICH CONSU MAKING RECRU	cai or rial should sound d in rial g and alized n the alized n the dd. ASTANN UPSC UPSC S iTTMEN	to be N		
Mizoram, I Division of ** <u>Note:</u> The candidate: candidate: vacancies * DEPUT/ The Depa considera appointme (Period c preceding not excee	in India (and not kanipur, Nagalar Chambe District a qualification(s) is belonging to SC is from these corr reserved for ther NTION INCLUDIM trimental Offcers tion for appointment of deputation/coni this appointment d 3 years. The iding 56 years as METHOD deputation/coni this appointment d 3 years. The iding 56 years as METHOD METHOD RECRUIT WHETHER RECRUIT PROMOTI DEPUTAT ABSORPT PERCENT POSTS TC VARIOUS	the closing date di, Trigura, Sikkir of Himachal Prac- regarding exper- e and ST If, at ar imunities posses n. G SHORT TERM in the feeder ca- cent on deputative ract including per- tin the same or naximum age lin on the closing data DF AENT, KENT OR BY DN AND AGE OF THE D BE FILLED BY METHODS 11 ct Recruitment	Prescribed for ti n, Ladakh Divis lesh, Andaman lence is/are rel ny stage of sele sing the require I CONTRACT ategory who an n. Similarly, I sriod of deputal some other Org nit for appointm te of receipt of a IN CASE OI PROMOTIC ABSORPT WHICH PROMOTIC ABSORPT WHICH PROMOTIC ABSORPT	hose in Assan ion of J & K S & Nicobar Isla axable at the ction, the D.G ed experience e in the direct Deputationists tion/ contract janization/Dep ent by deputa application). F RECRUITMI SN/ DEPUTAT F RECRUITMI SN/ DEPUTAT ION TO BE M	tate Lahaut & Spilis ands or Lakshadwe discretion of the is of the opinion are not likely to the t line of promotion shall not be eligi in another ex-cadu antment of the Cert tion (including sho 2010 ENT BY IF ION/ IT: FROM IT:	achal Pradesh, district and Pangi Sub- ep) D.G in the case of the that sufficient number of se available to fill up the shall not be eligible for ble for consideration for the post held immediately ntrat/Govt. shall ordinarily at term contract) shall be A DPC EXISTS, WHAT S COMPOSITION	in Mechanic in dust: engineering have background m e chan in d ust engineering have speci training E year in an r hospital in requisite fiel CIRCUM WHICH CONSU MAKING RECRU	cai or rial should sound d in rial g and alized n the alized n the dd. ASTANN UPSC UPSC S iTTMEN	to be N		